INTELLIGENTSIA
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 3108-0766 (Online)
Volume (2), Issue (1)
January - March, 2026
Intelligentsia International Journal Of Multidisciplinary Research

जनपद श्रावस्ती में मनरेगा एवं ग्रामीण -विकास: एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ॰ राज कुमार गुप्ता[1]
सहायक आचार्य
भूगोल विभाग
संत विनोबा पी.जी. महाविद्यालय,देवरिया, उत्तर प्रदेश

सुजीत कुमार [2]
सहायक आचार्य
भूगोल विभाग
संत विनोबा पी.जी. महाविद्यालय, देवरिया, उत्तर प्रदेश

सारांश :

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ग्रामीण विकास सामाजिक आर्थिक-प्रगति की नींव है। वर्ष 2005 में पारित अधिनियम ग्रामीण जनसंख्या को प्रतिवर्ष 100 दिन का गारंटी कृत रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। जनपद श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है जहां मनरेगा ग्रामीण आय, रोजगार तथा आधारभूत संरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा,रोजगार सृजन और सतत विकास का एक सशक्त माध्यम है। यह अध्ययन जनपद श्रावस्ती के संदर्भ में मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण विकास की भौगोलिक पड़ताल प्रस्तुत करता है। अध्ययन में जनपद के लिए विभिन्न विकास खण्डों में मनरेगा के कार्यान्वयन, श्रम दिवस सृजन, आर्थिक सशक्तिकरण, प्रवास नियंत्रण एवं भौतिक- सामाजिक अवसंरचना के निर्माण का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में यह पाया गया कि मनरेगा ने श्रावस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्धता बढ़ाई है, किंतु कार्यान्वयन की पारदर्शिता तकनीकी दक्षता और समयबद्ध भुगतान जैसे मुद्दे अब भी चुनौतियां बने हुए हैं।

मुख्य शब्द: मनरेगा, ग्रामीण विकास, रोजगार गारंटी, आजीविका सुरक्षा,श्रम दिवस, आर्थिक सशक्तीकरण, प्रवास नियंत्रण, भौतिक-सामाजिक अवसंरचना

प्रकाशन समयरेखा:
मूल पाण्डुलिपि प्राप्त – 02 जनवरी, 2026; सहकर्मी समीक्षण पूर्ण – 05 जनवरी, 2026; संशोधित पाण्डुलिपि प्राप्त – 09 जनवरी, 2026; स्वीकृत एवं प्रकाशित – 14 जनवरी, 2026
अनुशंसित संदर्भ
गुप्ता, आर. के. एवं कुमार, एस. (2026). जनपद श्रावस्ती में मनरेगा एवं ग्रामीण -विकास: एक भौगोलिक अध्ययन. इंटेलिजेंटसिया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 2(1), 1–7 .

प्रस्तावना

ग्रामीण विकास वह प्रक्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करता है। इसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में उन धनात्मक परिवर्तन से है जो ग्रामीण समाज की आवश्यकता एवं कल्याण को निर्धारित करते हैं। ग्रामीण विकास ग्रामीणों के कल्याण हेतु सामाजिक आर्थिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन है।जो मुख्य रूप से कृषि,तकनीकी एवं जनसंख्या से संबंधित है। ग्रामीण विकास का मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं एवं सुविधाओं का विस्तार एवं उनमें गुणात्मक परिवर्तन तथा उत्पादन क्रिया कलापों में वृद्धि द्वारा ग्रामीण परिवेश को मानव हित में उचित बनाना है। ग्रामीण विकास व्यक्तियों के उन्नति अथवा सुधार का गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन है। ग्रामीण विकास वह प्रक्रिया है जो विविध प्रकार के समन्वय पर आधारित होती है तथा जिसका परम उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना एवं दीर्घकालीन परिपेक्ष में उसे अभीष्टतम जीवन स्तर हेतु विविध सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। पिछड़ती ग्रामीण स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक कार्यक्रम लागू किया जा रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण संसाधनों के संपूर्ण विकास पर बल दिया जा रहा है।

मनरेगा अन्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लगभग 56 वर्षों के अनुभव के बाद आया जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाएं और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम(NREP)1980-89, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम(RLEGP)1883-89, जवाहर रोजगार योजना(JRY)1989-90, रोजगार आश्वासन योजना(EAS)1993-99, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना(JGSY)1999-2002, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना(SGRY),2001, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम(NFFWP) 2004 शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में SGRYऔर NFFWP 2005 में नरेगा में विलय कर दिया गया। अधिनियम चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया 2007-08 में 130 जिले जोड़े गए थे। देश भर में 625 से अधिक जिलों में फैलने के साथ ग्रामीण गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ाने,प्रवास संकट को कम करने पर बल दिया गया था। मनरेगा का उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में वर्णित उद्देश्य को प्राप्त करना है- नागरिकों को काम करने का अधिकार देना अर्थात जहां पहले मजदूरी रोजगार कार्यक्रम नौकरी की कोई गारंटी नहीं देते थे वहीं इस अधिनियम ने गारंटीकृत नौकरी प्रदान की। वैतनिक रोजगार की यह गारंटी अब पूरे देश में एक समान है जैसा पहले कभी नहीं था। यह टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश के साथ एक विकास पहल है जिसके बिना ग्रामीण भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है। मनरेगा का प्रमुख तत्व राज्य द्वारा उन लोगों को रोजगार का प्रावधान है जो वैकल्पिक रोजगार खोजने में असमर्थ है जो ग्रामीण बेरोजगार लोगों को सामाजिक सुरक्षा जाल का एक रूप प्रदान करता है।

मनरेगा की प्राथमिकताएं

मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के संधृत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।इसके द्वारा समाज के निम्न वर्गों महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ ही वहां के संसाधनों को समान रुप से वितरित कर उनके विकास के लिए उपयोग किया जाना है। इसके अतिरिक्त लोगों को रोजगार देना, गरीबी को कम करना,महिलाओं को पुरुषों के समान भागीदारी को सुदृढ़ करना इस योजना का प्रमुख अंग है। इसमें ग्रामीण सड़कों को नगरों से मिलाने ग्रामीण कृषि एवं लघु उद्योगों के विकास के साथ-सा ग्रामीण पर्यावरण पर बल दिया जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत जो भी कार्य किया जा रहे हैं उसे संधृत ग्रामीण विकास के रूप में देखा जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत निम्नवत कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है(मनरेगा ब्रीफिंग पुस्तिका)-प्रवजन को कम करना,ग्रामीण रोजगार को बढ़ाना, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, अनुसूचितजाति/ अनुसूचित जनजाति या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुंबों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना,जल संरक्षण एवं जल संचय, सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण, सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण,भूमि के लिए सिंचाई सुविधा, परंपरागत जल स्रोतों के पुर्ननवीकरण हेतु जलाशयों से गाद की

Copyright © IIJMR 2026, All rights reserved

ISSN: 3108-0766 (Online)
Volume (2), Issue (1)
January - March, 2026

निकासी,भूमि विकास एवं भूमि सुधार,बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी की व्यवस्था, गांव में सड़कों का व्यापक स्तर पर जाल बिछाना ताकि सभी गांव को नगरों से जोड़ा जा सके।सड़क निर्माण परियोजनाओं में आवश्यकता के अनुसार पुलियां भी बनाई जाए और गांव के भीतर सड़कों के साथ-साथ नालियां भी बनाई जाए जिससे जल निकासी की उत्तम व्यवस्था हो सके एवं जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो।

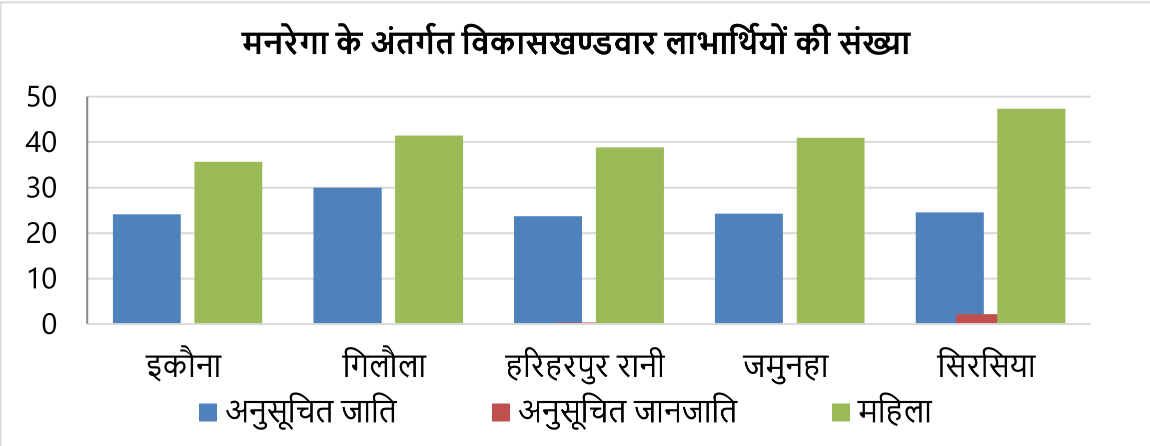

चित्र संख्या : 01

मनरेगा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं की स्थिति

मनरेगा में मुख्य रूप से पिछड़े व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण बल दिया जाता है।जनपद में मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या 2523 375 है जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 69180 है जो कुल का 27.41 प्रतिशत है।जनपद के गिलौला विकासखंड में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक 15493 है जो विकासखंड में कुल पंजीकृत लोगों का 31.43 प्रतिशत है और सबसे कम इकौना में 11485 (24.52)प्रतिशत है। अनुसूचित जानजाति के लोगों की संख्या 1311 (0.52%) है।जनपद के सिरसिया में सबसे अधिक 1135 (1.96%) तथा सबसे कम इकौना 7 व्यक्ति(0.01%) है। जनपद में विकासखंड वार मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत लोगों की संख्या का अनुसूचित जाति 27.41% पाई जाती है।सबसे अधिक गिलौला विकासखंड में 29.5 प्रतिशत तथा सबसे कम इकौना विकासखंड में 24.13 प्रतिशत पाई गई।जनपद में अनुसूचित जनजाति के मनरेगा में कार्यरत संख्या कुल संख्या का 0.77 प्रतिशत पाए गए ।जनपद में कार्यरत लोगों में 28.58 प्रतिशत महिलाएं तथा 71.52% पुरुष आबादी पाई गई ।जनपद में महिलाओं की संख्या 121201(28.48%) है।जनपद के सिरसिया विकासखंड में मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की संख्या सबसे अधिक 32.47 प्रतिशत है तथा सबसे कम इकौना 24.72% है।

मनरेगा में परिवारों की भागीदारी

मनरेगा में परिवारों की भागीदारी वहां के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि अधिक दिनों तक भागीदारी वहां के लोगों को अधिक दिनों तक रोजगार प्रदान करती है।लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती हैं तथा इसी प्रकार लोगों की कम उपस्थिति उस क्षेत्र के विकास के साथ ही वहां के लोगों के विकास में बाधा उत्पन्न करती है।यदि उपस्थिति बढ़ती है तो लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और क्षेत्र का विकास भी होता है

Copyright © IIJMR 2026, All rights reserved

ISSN: 3108-0766 (Online)
Volume (2), Issue (1)
January - March, 2026

तालिका संख्या: 01
विकासखंडवार मनरेगा में पंजीकृत, कार्यरत एवं उनके द्वारा उत्पन्न दिवस वित्तीय वर्ष (2023-24)

विकासखंड	परिवारों की संरचना जिसको जाब कार्ड जारी हो चुका है प्रतिशत में(रिपोर्टिंग महीनें तक)			मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत लोगों की संख्या (रिपोर्टिंग महीनें तक) प्रतिशत में				कुल उत्पन्न व्यक्ति दिवस (रिपोर्टिंग महीनें तक) प्रतिशत में			
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	महिला
इकौना	27.46	--	72.54	25.66	--	74.33	46.42	24.13	--	75.87	35.66
गिलौला	31.9	0.05	67.95	31.02	0.03	68.95	51.90	29.5	0.04	70.5	41.47
हरिहरपुर रानी	25.05	0.24	74.71	24.6	0.38	75.02	44.67	23.7	0.35	75.98	38.83
जमुनहा	27.16	0.02	72.81	25.37	0.07	74.55	47.32	24.27	0.07	75.65	40.98
सिरसिया	25.45	3.24	71.31	24.94	2.9	72.07	55.48	24.53	2.2	73.28	47.34
कुल	25.57	0.78	71.65	26.41	0.98	72.6	50.24	25.4	0.77	73.82	42.02

स्रोत : शोधकर्ता द्वारा संकलित प्राथमिक आकड़ें

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जनपद में कुल पंजीकृत (जॉब कार्ड) परिवारों की संख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 25.57% है। जिसमें सबसे अधिक गिलौला 31.9% तथा सबसे कम हरिहरपुर रानी 25.05% रहा।जबकि अनुसूचित जनजाति का जनपद में कुल का 0.78% रहा जिसमें सबसे अधिक सिरसिया 3.24% तथा सबसे कम जमुनहा 0.02% रहा। जबकि जनपद के इकौना विकासखंड में यह संख्या शून्य रही। अन्य परिवारों की पंजीकृत संख्या जनपद के कुल पंजीकृत परिवारों का 71.65% पाई जिसमें सबसे अधिक हरिहरपुर रानी 74.71% तथा सबसे कम गिलौला 67.95% पाई गई। जनपद में कुल उत्पन्न व्यक्ति दिवस में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 25.4 प्रतिशत रहा है। जहां सबसे अधिक गिलौला विकासखंड में 29.5% तथा सबसे कम हरिहरपुर रानी 23.7% पाई गई। वहीं जनपद में अनुसूचित जनजाति का कुल प्रतिशत 0.77% रहा।जिसमें सबसे अधिक सिरसिया में 2.2% तथा सबसे कम जमुनहा 0.07 प्रतिशत पाई गई। जनपद में लोगों द्वारा उत्पन्न व्यक्ति दिवस 73.82% पाई गई जिसमें सबसे अधिक हरिहरपुर रानी 75.98% तथा सबसे कम 70.5% गिलौला विकासखंड में पाई गई। जनपद में कुल व्यक्ति दिवस में महिलाओं का प्रतिशत 42.02% है जिसमें सबसे अधिक सिरसिया 47.34% तथा सबसे कम इकौना में 35.66% पायी गयी।

कार्यरत परिवार एवं जनित व्यक्ति दिवस

श्रावस्ती जनपद में कुल उपस्थित परिवारों के संख्या 52453 एवं कुल व्यक्ति दिवस 3081948 पाई गई है। जहां पर एक से 30 दिन उपस्थिति दर्ज कराने वाले कार्यरत परिवारों की संख्या 26.40% एवं उनके द्वारा जनित व्यक्ति दिवस 7.9% पाई गई। 1 से 30 दिन तक उपस्थिति दर्ज कराने वाले कार्यरत परिवारों में सबसे अधिक इकौना विकासखंड में 31.5% तथा सबसे कम सिरसिया में 21.9% पाई गई। 31 से 60 दिन उपस्थिति दर्ज कराने वाले परिवारों का प्रतिशत 23.65% तथा उनके द्वारा जनित व्यक्ति दिवस 18.23% है। सबसे अधिक कार्यरत परिवारों का प्रतिशत गिलौला विकासखंड में 25.11% है तथा सबसे कम सिरसिया में 22.7% पाया गया। इनके द्वारा जनित व्यक्ति दिवस सर्वाधिक हरिहरपुर रानी तथा गिलौला 22.2% तथा सबसे कम सिरसिया में 16.83% पाया गया। 61 से 99 के बीच जनपद में 42.56% कार्यरत परिवार एवं 61.23% जनित कार्य दिवस का प्रतिशत पाया जाता है। जिसमें सर्वाधिक कार्यरत परिवार का प्रतिशत सिरसिया 49.99% एवं सबसे कम

Copyright © IIJMR 2026, All rights reserved

 ISSN: 3108-0766 (Online)
Volume (2), Issue (1)
January - March, 2026

35.81% जमुनहा में पाया गया। जबकि जनित व्यक्ति दिवस में सर्वाधिक 68.41% सिरसिया एवं सबसे कम 57.36% गिलौला विकासखंड में पाया गया। लेकिन उसके बाद कार्यरत परिवार और जनित व्यक्ति दिवस की संख्या घटती जा रही है और 101 से 150 दिन में कार्यरत परिवारों की संख्या 0.43% तथा उनके द्वारा जनित व्यक्ति दिवस 0.74% पाई गई जैसा कि तालिका संख्या, 02 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या: 02
विकासखंडवार जनपद में कार्यरत परिवार एवं उनके द्वारा उत्पन्न रोजगार दिवस
(**वित्तीय वर्ष, 2023-24**)

विकासखंड	1-30 के बीच कुल उपस्थित दिन		31-60 के बीच कुल उपस्थित दिन		60-99 के बीच कुल उपस्थित दिन		कुल उपस्थित 100 दिन		101-150 के बीच कुल उपस्थित दिन		कुल उपस्थित दिन	
	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस
इकौना	31.5	9.5	24.47	18.34	37.75	57.36	7.98	14.39	0.23	0.42	100	100
गिलौला	26.08	8.2	25.11	19.22	42.26	61.43	6.12	10.41	0.43	0.74	100	100
हरिहरपुर रानी	27.93	8.24	24.25	19.2	40.13	59.05	7.56	13.30	1.12	0.21	100	100
जमुनहा	28.92	8.97	23.86	18.63	35.81	52.29	10.99	19.35	0.42	0.76	100	100
सिरसिया	21.9	6.3	22.7	16.83	49.99	68.14	4.74	7.59	0.74	0.36	100	100
कुल	26.40	7.9	23.65	18.23	42.56	61.23	6.99	11.89	0.43	0.74	100	100

स्रोत : शोधकर्ता द्वारा संकलित प्राथमिक आकड़ें

जनपद श्रावस्ती में मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्य

मनरेगा के अंतर्गत कुल पूर्ण कार्य 2023-24 में 19570 हुए हैं। जिसमें व्यक्तिगत भूमि पर कार्य(5394), भूमि विकास (2856), बाढ़ नियंत्रण (290), ग्रामीण संपर्क (799),जल संरक्षण (177), ग्रामीण स्वच्छता (152),सूखा रोशन(88), पारम्परिक जल निकायों का नवीनीकरण (113) एवं आंगनबाड़ी/अन्य ग्रामीण बुनियादी कार्य (170) को किया गया है। जनपद में कुल कार्य का सबसे अधिक गिलौला विकासखंड में 3356 तथा सबसे कम 1098 इकौना विकासखंड में किया गया है। जनपद में सबसे अधिक ग्रामीण संपर्क का कार्य गिलौला विकासखंड 138 एवं सबसे कम 13 सिरसिया विकासखंड में किया गया ।सूखारोधन का सबसे अधिक कार्य गिलौला 26 एवं सबसे कम 12 इकौना में हुआ।बाढ़ नियंत्रण का सर्वाधिक कार्य गिलौला 87 एवं सबसे कम इकौना (18)में किया गया ।भूमि विकास का सर्वाधिक कार्य गिलौला विकासखंड में 934 हुआ जबकि सबसे कम कार्य इकौना विकासखंड (397) में हुआ।जल संरक्षण का सर्वाधिक कार्य गिलौला विकासखंड 113 तथा सबसे कम इकौना (2)में हुआ है।ग्रामीण स्वच्छता का सर्वाधिक कार्य गिलौला 60 में तथा सबसे कम जमुनहा में 4 हुआ है। व्यक्तिगत भूमि पर कार्य सर्वाधिक मात्रा में जमुनहा विकासखंड में 1101 हुआ है।

Copyright © IIJMR 2026, All rights reserved

ISSN: 3108-0766 (Online)
Volume (2), Issue (1)
January - March, 2026

तालिका संख्या: 03
विकासखंडवार मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्य
(वित्तीय वर्ष 2023-24)

विकास खंड	सूखा रोधन	बाढ़ नियंत्रण	भूमि विकास	ग्रामीण संपर्क	जल संरक्षण	ग्रामीण स्वच्छता	पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण	आंगनबाड़ी/अन्य ग्रामीण बुनियादी कार्य	व्यक्तिगत भूमि पर कार्य (श्रेणी)	कुल कार्य
इकौना	12	18	397	53	2	30	10	11	556	1098
गिलौला	26	87	934	138	113	60	26	57	1915	3356
हरिहरपुर रानी	19	48	527	49	26	33	10	34	933	1739
जमुनहा	18	58	450	77	5	4	20	18	1101	1751
सिरसिया	13	80	548	13	31	25	47	50	819	1626
कुल	88	290	2856	799	177	152	113	170	5394	19570

स्रोत : शोधकर्ता द्वारा संकलित प्राथमिक आकड़ें

मनरेगा के माध्यम से जनपद में वित्तीय वर्षों 2019-20 से 2023-24 के बीच रोजगार सृजन और कार्य दिवसों में वृद्धि हुई है। कुल कार्य दिवसों में स्थिर वृद्धि एवं परिवारों की भागीदारी में वृद्धि देखी गई है।यह वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण अधो संरचना निर्माण और जल संरक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण रही है । जनपद मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है जिसमें यह सभी कार्य किसी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सड़कों के विकास होने से ग्रामीण क्षेत्र का संपर्क नगरों से हो जाता है जिसके फल स्वरुप ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास होने लगता है । यहां ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण पेयजल सहित कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन पर अभी भी इस जनपद में बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

यद्यपि मनरेगा ने श्रावस्ती में अल्पकालिक रोजगार एवं स्थानीय संसाधन निर्माण में योगदान दिया है किंतु दीर्घकालिक ग्रामीण विकास हेतु कुछ सुधार आवश्यक हैं।जिनमें परियोजनाओं के निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार की आवश्यकता है ताकि दीर्घायु एवं टिकाऊ अवसंरचना सुनिश्चित की जा सके। कौशल विकास और मनरेगा को पारिश्रमिक के साथ जोड़कर ग्रामीण मजदूरों की आय के विविधीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करने हेतु समान वेतन एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है इसके लिए महिला केंद्रित कार्यक्रमों एवं 'मेट' नियुक्तियों को बढ़ावा देकर निर्णय निर्धारण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए।मनरेगा के कार्यों में स्थानीय कृषि जल प्रबंधन योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि सिंचाई क्षमता और पैदावार बढ़ाकर कृषक आय में स्थाई वृद्धि हो सके।

निष्कर्ष

मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है।ग्रामीण भारत को 'श्रम की गरिमा'से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। एक कल्याणकारी राज्य की सफलता का आंकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वहां सामाजिक आर्थिक

Copyright © IIJMR 2026, All rights reserved

ISSN: 3108-0766 (Online)
Volume (2), Issue (1)
January - March, 2026

व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। समग्र विकास की इस पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कृषि संकट और आर्थिक मंदी के दौर में मनरेगा ने ग्रामीण किसानों और भूमि मजदूरों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक(MPS) के अनुसार श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला है।यहां 74.38% गरीब आबादी पायी जाती है। जनपद श्रावस्ती परिवहन नेटवर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि में भी काफी पिछड़ी अवस्था में है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आधी संख्या की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। किंतु विभिन्न कार्यों में महिलाओं की अतिन्यून भागीदारी मनरेगा के इन उद्देश्यों से बहुत दूर है ।जनपद में कार्यरत लोगों की संख्या 60 से 99 दिनों में अधिक है एवं उसके बाद जैसे-जैसे दिनों की संख्या बढ़ती जा रही है लोगों की संख्या कम होती जा रही है और जनपद में 100 से 150 दिनों तक कार्य करने वाले परिवारों की संख्या बहुत कम हो गई है। साथ ही इस योजना में बजट का समय से आवंटन न होना,ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार एवं पात्र लोगों का इस योजना में चयन न हो पाना यह सभी कमियां मनरेगा के क्रियान्वयन में प्रशासनिक कमियों को उजागर करता है।

संदर्भ सूची

1. मिश्रा, आर. पी., एवं सुंदरम, के. वी. (1979). *रूरल एरिया डेवलपमेंट: पर्सपेक्टिव एंड अप्रोचेज़.* स्टर्लिंग पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या: 3–4.
2. कुशवाहा, एल. के. एवं शर्मा, वी. एन. (2015). *जनपद देवरिया में मनरेगा एवं ग्रामीण विकास: एक भौगोलिक अध्ययन,* राष्ट्रीय भौगोलिक पत्रिका, 6 (1), पृष्ठ संख्या: 89-100.
3. नारायणन, एस. (2008). *एम्प्लॉयमेंट गारंटी, विमेन्स वर्क एंड चाइल्डकेयर.* इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पृष्ठ संख्या: 10–13.
4. ठाकुर, ए., एवं झा, डी. एम. के. (2011). *ए स्टडी ऑन एमजीएनरेगा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वेज एंड वर्क रिलेशन.* एम.ए. (सोशल वर्क) प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्कूल ऑफ सोशल वर्क, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़, देवनार, मुंबई – 400088.
5. वनाइक, ए., एवं सिद्धार्थ. (2008). *बैंक पेमेंट्स: एंड ऑफ करप्शन इन नरेगा?* इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 43(17), पृष्ठ संख्या: 33–39.
6. माथुर, टी. एन., एवं गर्ग, एस. (संपा.). (1991). *स्ट्रेटेजीज़ एंड प्रैक्टिसेज़ ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया.* अरिहंत पब्लिशर्स; बुकमेन एसोसिएट्स, पृष्ठ संख्या: 1–10.
7. वर्मा, आर. बी. (1983). *अ वायबल अप्रोच टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया.* जर्नल ऑफ रूरल इंटीग्रेशन, 2(4), एनआईआरडीपी, बीएचयू, वाराणसी.
8. भारतीय, एस. (2002). *सकलडीहा ब्लाक (जनपद चंदौली) का समन्वित ग्रामीण विकास,* अप्रकाशित शोध प्रबंध, भूगोल विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी.
9. सिंह, एन. (2006).*सामाजिक विकास एवं सतत विकास.* राधा पब्लिकेशन,नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या, 17-19
10. ग्रामीण विकास मंत्रालय (2024). *वार्षिक रिपोर्ट-2024.* ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार.

****

Copyright © IIJMR 2026, All rights reserved